कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

– ज्ञापन –

क्रमांक : क्यू /जिला एवं सत्र न्याया./2020 कटनी, दि.11.05.2020

विषय : कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण दि.04.05.2020 से 17.05.2020 तक घोषित राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान न्यायालयीन/कार्यालयीन कार्य निष्पादित किये जाने संबंधी समयावधि बाबत्।

संदर्भ : माननीय उच्च न्यायालय,मध्य प्रदेश, जबलपुर का परिपत्र क्रं.ए/930 दि.11.05.2020

– 0 –

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित ज्ञापन के अनुपालन मे अन्य आदेश तक जिला न्यायालय कटनी/तहसील विजयराघवगढ़/बरही/ढीमरखेड़ा के समस्त न्यायालयों एवं अनुभागो के कार्य का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क्रं.	न्यायालयों के नाम	कार्य का समय
01.	जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.(पी.ए.)एक्ट)/प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय /समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	**11.00 बजे से 2.00बजे तक**
02.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य समस्त सिविल जज वर्ग–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज वर्ग–2/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	**2.00 बजे से 5.00 बजे तक**
नोट–	01.न्यायालयों के कार्य का उक्त परिवर्तित समय आज दिनांक से ही तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 02. सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय/अपर सत्र न्यायालयों से संबंधित अर्जेन्ट सुनवाई के आवेदन पूर्ववत दोपहर 1.00बजे तक लिये जायेंगे जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से संबंधित अर्जेन्ट सुनवाई के आवेदन सायं 4.00बजे तक लिये जायेंगे।	

नोट – 01. समस्त अनुभाग 10.30 से 5.00बजे की अवधि मे खुले रहेंगे और उनमे न्यूनतम स्टाफ आवश्यकतानुसार/शिफ्ट में उपस्थित होगा। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था संबंधित अनुभागों के प्रभारी करेंगे।

02. प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर/नायब नाजिर/सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर जिला मुख्यालय कटनी/तहसील बरही/ढीमरखेड़ा/विजयराघवगढ़ 10.30 से 5.00बजे की अवधि में न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

03. न्यायालय परिसर के मुख्य गेट/हेल्प डेस्क/रिमोट प्वाइंट/व्ही.सी.रूम आदि मे तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की डियूटी के संबंध में आवश्यक व्यवस्था नजारत अनुभाग,कार्यालय प्रभारी एवं प्रशासनिक अधिकारी, जिला नाजिर/नायब नाजिर द्वारा की जायेगी।

04. लॉक डाउन की अवधि में न्यायालयीन एवं प्रशासनिक कार्य व्यवस्था/कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध मे पूर्व में जारी परिपत्र आदि यथावत लागू रहेंगे और उनका कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे।

11-5-2020

संलग्न :– माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर का परिपत्र क्रं.ए/930 दि.11.05.2020

(अचल कुमार पालीवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन क्रमांक 2080 /2020 कटनी, दि.11.05.2020

<u>प्रतिलिपि</u> :– 01. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय/ तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा, जिला कटनी,

02. संयोजक/सदस्य, तदर्थ समिति, जिला अधिवक्ता संघ, कटनी
03. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ,तहसील विजयराघवगढ़/बरही ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. जिला मजिस्ट्रेट, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, कटनी, की ओर समस्त थाना प्रभारियों को इस निर्देश के साथ पालनार्थ सूचित किये जाने बाबत् प्रेषित कि वह **सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय/अपर सत्र न्यायालयो** से संबंधित प्रकरणों की रिमांड पत्रावली/केस डायरी/वारंट तथा आरोपी आदि को प्रतिदिन **प्रातः 12बजे तक** अथवा उसके पूर्व ही तथा **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मजिस्ट्रेट न्यायालयों** से संबंधित प्रकरणों की रिमांड पत्रावली/केस डायरी/वारंट तथा आरोपी आदि को प्रतिदिन **दोपहर 3 बजे तक** अथवा उसके पूर्व ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
06. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी,
07. उप संचालक अभियोजन/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक, की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित।
08. अधीक्षक, जिला जेल कटनी इस निर्देश के साथ पालनार्थ सूचित किये जाने बाबत् प्रेषित है कि वह जिला जेल से **सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय/ अपर सत्र न्यायालयो** से संबंधित आरोपीगण की वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रतिदिन **प्रातः 11बजे** से तथा **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट न्यायालयों** से संबंधित आरोपीगण की वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रतिदिन **दोपहर 2बजे** से आरंभ किया जाना सुनिश्चित करें।
09. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग कटनी/तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सहायक लेखापाल /सांख्यिकीय लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/सिस्टम आफीसर/ असिस्टेंट सिस्टम आफीसर जिला मुख्यालय कटनी/तहसील विजयराघवगढ़/ बरही/ढीमरखेड़ा जिला कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जनसंपर्क अधिकारी, कटनी की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
12. प्रभारी अधिकारी/सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर/प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय कटनी, की ओर समस्त समस्त न्यायिक अधिकारीगण /तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा को ईमेल/व्हाटस्एप ग्रुप आदि के माध्यम से सूचित करने एवं जिला न्यायालय कटनी की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.5.2020

(अचल कुमार पालीवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner